**भारत सरकार**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या: 2397**
**दिनांक 13 फरवरी, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**नीट पीजी 2025 हेतु लागत में कमी**

†2397. **श्री सेल्वाराज वी.:**
**श्री सुब्बारायण के.:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में हजारों सीटें खाली पड़ी रहने के कारण नीट पीजी 2025 हेतु कट-ऑफ को शून्य प्रतिशत तक कम करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में पृथक रूप से खाली सीटों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या निजी मेडिकल कॉलेजों, जहां फीस करोड़ों में है जो अधिकांश अभ्यर्थियों के लिए वहन करना असंभव है, में अधिकांश सीटें खाली हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का ध्यान आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के पूर्व प्रमुख सचिव, डॉ. पी.वी. रमेश की इस राय की ओर आकर्षित किया गया है कि यह निर्णय शर्मनाक है और इसकी घोर भ्रष्टाचार के रूप में निंदा की जानी चाहिए; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**उत्तर**
**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) से (च): स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) की चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए परामर्श आयोजित करती है। एमसीसी द्वारा आयोजित नीट पीजी परामर्श में अखिल भारतीय कोटा की 50% सीटें और देश भर के केंद्रीय/मानित विश्वविद्यालयों की 100% सीटें शामिल होती हैं। राज्य कोटा पीजी सीटों के लिए परामर्श संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आयोजित किया जाता है और निजी मेडिकल कॉलेजों के लिए परामर्श राज्य परामर्श प्राधिकरणों के दायरे में आता है।

योग्यता प्रतिशत में संशोधन का निर्णय एमसीसी द्वारा आयोजित दूसरे दौर की काउंसलिंग के पूरा होने के बाद लिया गया। इस काउंसलिंग में यह पाया गया कि एमसीसी द्वारा काउंसलिंग के लिए प्रस्तावित 29,476 सीटों में से 9,621 सीटें रिक्त रह गईं। इसके अलावा, चूंकि 50% सीटों के लिए काउंसलिंग संबंधित राज्य प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाती है, इसलिए यह आकलन किया गया कि दो दौर के बाद लगभग 20,000 सीटें (डीएनबी सीटों सहित) रिक्त रह गईं। अतः, पिछले शैक्षणिक वर्षों की तरह, जो कि अधिकतम सीट उपयोग सुनिश्चित करने में प्रभावी सिद्ध हुई थी, सरकार ने पीजी काउंसलिंग 2025 के लिए पात्रता के योग्यता प्रतिशत को कम कर दिया है ताकि मूल्यवान पीजी मेडिकल सीटें रिक्त न रहें। नीट पीजी 2025 के लिए संशोधित योग्यता प्रतिशत इस प्रकार हैं:

- यूआर श्रेणी: पात्रता 7 प्रतिशत से ऊपर तक सीमित कर दी गई
- यूआर-दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी: पात्रता 5 प्रतिशत से ऊपर तक सीमित कर दी गई
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी) श्रेणियां: सभी उम्मीदवार योग्य घोषित किए गए

सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा पाठ्यक्रमों की शुल्क संरचना राज्यों के अनुसार भिन्न होती है और संबंधित राज्य शुल्क नियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाती है। सुलभता बढ़ाने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शुल्क संरचना में सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा, निजी चिकित्सा संस्थानों और मानित विश्वविद्यालयों में 50% सीटों के लिए शुल्क और अन्य प्रभारों के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (i) के अंतर्गत तैयार किए गए थे और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग द्वारा 03.02.2022 को जारी किए गए थे। हालांकि, इन दिशानिर्देशों को विभिन्न न्यायालयों में चुनौती दी गई है और मामला वर्तमान में विचाराधीन है।

****